अतिवृष्टी से हुए नुकसान का कराएं आंकलन : कलक्टर लोक बन्धु

- बैठक के दौरान राजस्व कार्यों की प्रगति, एवं जन शिकायतों के समाधान की समीक्षा की गई।

अजमेर, (कासं)। जिला मुख्यालय पर वीसी के माध्यम से गुरूवार को जिला कलैक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राजस्व कार्यों की प्रगति, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं जन शिकायतों के समाधान की समीक्षा की गई।

जिला कलैक्टर लोक बन्धु ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिवृष्टी के दौरान हुए नुकसान का आकलन कर तत्काल रिपोर्ट भिजवाए। विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा चिकित्सालयों की सर्वे रिपोर्ट शुक्रवार को ही भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके अगले चरण में अन्य राजकीय भवनों, पुलिया, सड़कें, सामुदायिक भवन, बांधों एवं नहरों में हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर भिजवाएं। जर्जर भवनों का किसी परिस्थिति में उपयोग नहीं करें। उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मरम्मत योग्य भवनों के प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं। साथ ही मरम्मत के उपरान्त ठीक नहीं होने वाले भवनों को नियमानुसार भूमिदोज करने की कार्यवाही करावें। बारिश के दौरान समस्त अधिकारी क्षेत्र में रहेंगे। राहत एवं बचाव कार्यों की पूर्व तैयारी कर लें। जल भराव के चिह्नित स्थानों का निरीक्षण कर जल भराव रोकने के लिए कार्य योजना बनाएं।

उन्होंने कहा कि अधिकारी राजस्व कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें तथा आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आगामी आपदा प्रबंधन तैयारियों में तेजी लाने पर भी चर्चा की गई। जिला कलैक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए। न्यायालय की पत्रावलियों को अगले चरण में प्रविष्ट कराने की मॉनिटिरिंग करें। उन्होंने अतिक्रमण के प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा और स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का नया अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसके लिए पटवारियों को सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई निगरानी प्रकरणों का अंतरिम जवाब सात दिवस में भिजवाया जाए। इसमें वस्तुस्थिति और अग्रिम कार्यवाही का विवरण शामिल हो। साथ ही स्टार मार्क प्रकरणों के जवाब दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जाएं। इसमें अपेक्षित कार्यवाही या कार्यवाही संभव नहीं होने की स्थिति के कारण का विवरण दिया जाए। शस्त्र अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण समय पर करें। अवैध खनन रोकने के लिए संयुक्त रूप से कार्यवाही करें। नए मतदान बुथ के लिए भवनों की क्षमता जांच कर रिपोर्ट भिजवाएं। एसआईआर के लिए समस्त बीएलओ का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलैक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़, ज्योति ककवानी, वंदना खोरवाल उपस्थित रहे।

पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल को पेयजल क्षेत्र में बड़ी सौगात

- जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सख्त निर्देशों से मिली रफ्तार
- वर्क ऑर्डर जारी, शीघ्र धरातल पर कार्य प्रारंभ होगा

अजमेर, (कासं)। जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के मजबूत नेतृत्व और ग्रामीण विकास के प्रति उनकी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता का प्रतिफल है कि राशि 365.85 करोड़ की महत्वाकांक्षी जल परियोजना के वर्क ओर्डर जारी कर दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत रूपनगढ़ व अजमेर उपखंड के गांवों में घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा।

बीसलपुर बांध प्रणाली से जलापूर्ति की यह योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत भदूण, पालडी भोपतान, काठोदा, परासोली, मोखमपुरा, पडांगा, अमरपुरा, पवारों की ढाणी, केरिया की ढाणी, भिलावट, गुढा, करडला, आउ, सिनोदिया, शिवनगर, बकरवालिया,झाग, जाखोलाई, किशनपुरा, कोटडी, उजोली, खाजपुरा, भैरवाई, जाजोता, मानपुरा, निटूटी, दरदूण्ड, नवा, राजपुरा, रघुनाथपुरा, कल्याणीपुरा, रामगढ, करकेडी, तित्यारी, पींगलोद, चकपींगलोद,सिणगारा, बांसडा, थल, सिंगला, मोतीपुरा, पालडी पाठनान, रोडावास, सागरमाला, नोसल, अरडका, होशियारा, मगरी, जाटली, सराणा, भवानीखेडा, मानपुरा, ऊंटडा, मगरा, रामनेर ढाणी, होशियावास, बबाईचा गांवों को आच्छादित करेगी।

योजना के अंतर्गत एफएचटीसी के माध्यम से प्रत्येक घर में पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

इसके तहत रेट्रोफिटिंग कार्य, एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि और आगामी दस वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भी ठेकेदार को सौंपी गई है।

वर्क ऑर्डर जारी हो चुका हैं और शीघ्र ही इसका शुभारंभ कार्य धरातल पर प्रारंभ हो जाएगा।

पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा हर नागरिक का अधिकार है' यह सोच जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के कार्यों में स्पष्ट झलकती है।

सार-समाचार

सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा

अजमेर, (कासं)। जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला कलैक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कार्य योजनाओं पर समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता है। राठौड़ ने कहा कि जिले में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर सड़क सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधार जैसे मीडियन कट बंद करना, चेतावनी संकेतक लगाना, सड़क की सतह का उन्नयन एवं सर्विस रोड निर्माण कार्य पूर्ण किए जाएं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वाहन चालकों की नेत्र जांच के लिए प्राथमिकता से चिकित्सा शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। राजमार्गों पर दुर्घटना की स्थिति में त्वरित चिकित्सा सुविधा के लिए ट्रॉमा सेंटरों में 24 घंटे चिकित्सकीय सेवाएं, उपकरण एवं कार्मिक सुनिश्चित किए जाएं। एंबुलेंस की री पोजिशनिंग कर उन्हें रणनीतिक स्थलों पर तैनात किया जाए। इससे वे समय पर घटनास्थल पर पहुंच सकेंगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। विद्यार्थियों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग, तेज गति और नशे में वाहन नहीं चलाने जैसे नियमों की जानकारी दी जाए। इन नियमों के उल्लंघन पर प्रवर्तन एजेंसियां सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता पहुंचाने वाले जागरूक नागरिकों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही नियम विरुद्ध संचालित मदिरा दुकानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए सीवरेज चैंबरों की स्थिति की जांच कर आवश्यक मरम्मत कराई जाए। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर साइनबोर्ड, रेलिंग एवं सेफ्टी वॉल लगाकर दुर्घटनाओं की रोकथाम की जाए। राठौड़ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आईआरएडी पोर्टल पर दर्ज डाटा का विश्लेषण कर विभाग आपसी समन्वय से आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएं। इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता गिर्राज गुप्ता, जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश टहलयानी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामलाल चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन 12 तक

अजमेर, 31जुलाई(कासं)। अजमेर विकास प्राधिरकण, अजमेर की बहुप्रतीक्षित अटल आवासीय योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 12 अगस्त 2025 कर दी गयी है। मीडिया प्रभारी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि प्राधिकरण की इस आवासीय योजना में 02 जुलाई से आवेदन प्रारम्भ किये गये थे तथा आवेदन की अन्तिम 31जुलाई रखी गयी थी। योजना में भूखण्ड आवंटन के लिए अब तक विभिन्न श्रेणियों में 4351 लोगों ने लॉगिन किया तथा निरन्तर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्ता इच्छुक व्यक्तियों द्वारा दूरभाष / व्यक्तिगत संपर्क भी किया जा रहा है। योजना के प्रति आमजन के रुझान एवं मांग के दृष्टिगत इस 12 अगसा 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ज्ञातव्य है कि प्राधिकरण द्वारा चाचियावास स्थित अटल आवासीय योजना के 191 भूखण्डों का ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से आवस्टन किया जायेगा। भूखण्डों के आवन्टन में नियमानुसार विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का प्रावधान रखा गया है तथा ऐं एवं एक श्रेणी के आवेदकों को आरक्षित दर से क्रम 50 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत दर पर भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे। योजना में भूखण्डों की आरक्षित दर रुपये 16227 वर्ग मीटर अर्थात रुपये 13568 प्रति वर्ग गज रखी गयी है।

कावड यात्रा निकाली

बोरावड(निस) । स्वर्णकार समाज बोरावड़ के तत्वावधान में नन्हे बालक-बालिकाओं की कावड़ यात्रा निकाली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कावड यात्रा स्थानीय नया बाजार स्थित वीर हनुमान मन्दिर से गाजों-बाजों के साथ रवाना हुई । बालक-बालिकाओं की कावड़ यात्रा यूको बैंक, व्यास चौक, सदर बाजार होते हुए स्वर्णकार मोहल्ला स्थित श्याम मन्दिर पहुंची।

अभियान का संचालन 4 अगस्त से

भीलवाड़ा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मच्छरजनित बीमारियों के नियंत्रण व रोकथाम के लिए 'स्वास्थ्य दल आपके द्वार' अभियान 4 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक जिले में संचालित किया जाएगा। मानसून के दौरान व पश्चात मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि की संभावना को देखते हुए चिकित्सा विभाग व स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज विभाग को आपसी समन्वय से प्रभावी गतिविधियों के संचालन हेतु निर्देशित किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सीपी गोस्वामी ने बताया कि 'स्वास्थ्य दल आपके द्वार' अभियान के अंतर्गत चिकित्सा विभाग द्वारा डोर-टू-डोर विजिट, बुखार के रोगियों की जांच, सोर्स रिडक्शन, एंटीलार्वल व आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जन-जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सर्वे टीम में आशा, एएनएम, एलटी व सुपरवाइजर स्तर के कार्मिकों को शामिल किया जाएगा। घर-घर जाकर बुखार के रोगियों का सर्वे कर उनकी रक्त की जांच व नियमित निगरानी की जाएगी। वहीं नगर निकाय के सैनिटरी इंस्पेक्टरों को फॉगिंग व लार्वा विनिष्टकरण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज विभाग शहरी व ठाामीण क्षेत्रों में नालियों की सफाई, फॉगिंग, एमएलओ डालना, टंकियों की सफाई, खाली प्लॉट्स से गंदगी हटाना, तथा जिन घरों में मच्छर के लार्वा पाये जाने पर आवश्यकतानुसार नोटिस व चालान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। बड़े जन निकायों में अनावश्यक वनस्पतियों की कटाई एवं लार्वा प्रभावित स्थलों की प्रभावी सफाई की जाएगी। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. प्रवीण झरवाल ने बताया कि मानसून के दौरान और मानसून के पश्चात मच्छरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टायफस के रोगियों की संख्या में बढोतरी होती है। इसलिए बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की ट्रांसमिशन शृंखला तोडना जरूरी है। इसके लिए अभियान चलाकर एंटी लार्वा तथा मच्छर रोधी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

भक्तामर श्लोक की आराधना कर जीवन में खुशहाली की कामना

भीलवाडा। अनुष्ठान आराधिका ज्योतिष चन्द्रिका महासाध्वी डॉ. कुमुदलताजी म.सा. आदि ठाणा के सानिध्य में गुरूवार को महामंगलकारी भक्तामर स्त्रोत के 45वें श्लोक के माध्यम से भगवान आदिनाथ की भक्ति का रंग जमा तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक उर्जा से परिपूर्ण हो गया। आध्यात्मिक चातुर्मास आयोजन समिति द्वारा सुभाषनगर श्रीसंघ के तत्वावधान में आयोजित साप्ताहिक अनुष्ठान आराधना में महासाध्वी मण्डल ने आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्त्रोत के 45वें श्लोक "उद्धुत भीषण जलोदर भार भुग्ना" का जाप कराया। सुबह रिमझिम बारिश की परवाह किए बिना भक्ति आराधना के इस संगम में शामिल होने के लिए पहुंचे सैकड़ो श्रावक-श्राविकाओं ने शुद्ध भावों के साथ इस श्लोक का जाप किया तो पूरा वातावरण पवित्र एवं पावन हो गया ओर असीम पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ। इस आराधना में शामिल महासाध्वी कुमुदलताजी म.सा. ने भक्तामर स्त्रोत के इस श्लोक की आराधना का महत्व बताते हुए कहा कि इस श्लोक की पूर्ण श्रद्धा व भक्ति के साथ आराधना आरोग्यता प्रदान करती है ओर कैंसर जैसे गंभीर रोगों से पीड़ितों को भी साता व राहत देता है। इस श्लोक की आराधना शरीर से जलोदर जैसे रोग ठीक कर देती है। परमात्मा की भक्तिमय आराधना करने पर जीवन तिर जाता है। महामंगलकारी अनुष्ठान करने एवं जिनवाणी सुनने से जीवन में बदलाव आते है। मंत्रो की शक्ति व ताकत को पहचानना होगा यह कर्म निर्जरा कर मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्ति की राह खोलता है। जाप की स्तुति से हम अपने कर्मो को हल्का करने का प्रयास कर सकते है। अनुष्ठान के शुरू में महासाध्वी मण्डल के सानिध्य में श्री व्रज पंज्जर स्तोत्र की आराधना की गई। अनुष्ठान में स्वर साम्राज्ञी महासाध्वी महाप्रज्ञाजी म.सा.,वास्तुशिल्पी साध्वी पद्मकीर्तिजी म.सा.,विद्याभिलाषी साध्वी राजकीर्तिजी म.सा. का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। अनुष्ठान के शुरू में लाभार्थी परिवारों,अतिथियों एवं चातुर्मास समिति एवं सुभाषनगर श्रीसंघ के पदाधिकारियों द्वारा नवकार मंत्र चौकी की विधिपूर्वक स्थापना की गई। अनुष्ठान के लाभार्थी शांतिलाल सुरेन्द्रकुमार किशनलाल नवीनकुमार मनोजकुमार मेहता परिवार (डूंगला वाले), त्रिलोकचंद विनयकुमार निर्मलकुमार, अशोककुमार कमल गुगलिया परिवार, ब्यावर निवासी शांतिलाल विजयराज, गौतमचंद,विनोदकुमार हर्षिल मुथा परिवार एवं एक गुरूभक्त गुप्त परिवार रहा।

सिंधी समाज की महिलाओं ने श्रद्धा और उल्लास से मनाया नंडी सतहँ पर्व

भीलवाडा। शहर में गुरुवार को सिंधी समाज की महिलाओं ने सामूहिक रूप से नंडी सतहँ (छोटी सातम) पर्व परंपरा, आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया। यह पर्व सिंधी समाज में विशेष महत्व रखता है, जिसमें महिलाएं अपने पति और पुत्रों की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए माता शीतला और जल देवता का पूजन करती हैं। सिंधी समाज के मीडिया प्रभारी मूलचंद बहरवानी ने बताया कि भीलवाड़ा के सिंधु नगर, बापू नगर, शास्त्री नगर, वीर सावरकर चैक, आर.के. कॉलोनी, पुराना भीलवाड़ा और नाथद्वारा सराय क्षेत्र सहित शहर के विभिन्न इलाकों में महिलाओं ने नंदी सतहँ पर्व पूरे विधि-विधान और भक्ति भाव से मनाया। इस पर्व की विशेषता यह रही कि महिलाओं ने पूजन से एक दिन पूर्व रात में ही विशेष पकवान जैसे सिवइयाँ, मीठी कोकी, चेहरी मानी, नानकताई, खोराक, मीठा पकौड़ा, खटो भत, आम, चैपा आदि बनाए। इसके बाद चूल्हे की अग्नि को शांत कर अगली सुबह ठंडा भोजन माता शीतला को भोग स्वरूप अर्पित किया गया। नारियल, अगरबत्ती, पुष्प और अन्य पूजन सामठाी से माता की पूजा की गई। आज सभी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजधज कर समूहों में एकत्रित हुईं और सामूहिक रूप से पूजन किया। इस दौरान महिलाओं ने माता शीतला की कथा का सामूहिक श्रवण कर पूजा अर्चना की। कथा के माध्यम से माता के उपदेश, स्वास्थ्य संरक्षण और घर में सुख-शांति के महत्व को समझाया गया। इस धार्मिक आयोजन में चित्रा लोहानी, इंदु लालवानी, अनामिका बहरवानी, हर्षिता विधानी, रिया भोजवानी, रेखा लखवानी, ज्योति सखरानी, हरि भोजवानी, हर्षिता बहरवानी, रेणु भोजवानी, चाँदनी सखरानी, वर्षा सखरानी, अनिता नेभवानी, रोमा लखवानी, भगवंती भगत, सुनीता तुल्सानी, दिव्या लालवानी और रेखा बहरवानी सहित अनेक महिलाएं शामिल रहीं। सभी ने उत्साह और भक्ति के साथ इस पर्व को उत्सव रूप में मनाया। उल्लेखनीय है कि नंडी सतहँ पर्व न केवल धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह सिंधी समाज की पारंपरिक संस्कृति और महिला एकता का भी प्रतीक है।

नगर परिषद की साधारण सभा में हंगामा

ब्यावर । गुरुवार को पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के नगर परिषद सभागार में बैठक शुरू हुई। शुरू से ही बैठक में तनाव का माहौल बन गया। नगर परिषद की वित्त कमेटी के अध्यक्ष और सभापति के पति नवरत्न बोथरा ने बैठक के एजेंडों पर बात शुरू की तो वार्ड 29 के पार्षद भरत टांक, मनीष कच्छावा और गोविंद कड़वा भड़क गए।

भरत टांक ने कहा- नगर परिषद की कार्य शैली से नाराज होकर पिछले दिनों 24 पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं। नगर परिषद को अपनी कार्य शैली में सुधार करना चाहिए। बोर्ड के सभी पार्षदों के वार्डों में सफाई व्यवस्था और अन्य विकास कार्य करवाने चाहिएं।इस पर नवरत्न बोथरा ने कहा- आज की बैठक में आज के एजेंडों पर ही बात करेंगे।इस जवाब के बाद दोनों पक्षों में बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि बीजेपी के ही पार्षद भरत टांक ने पार्षद नवरत्न बोथरा पर काली स्याही फेंक दी। मीटिंग में ही दोनों पक्ष मारपीट पर उतारू हो गए। इसी बीच वरिष्ठ पार्षदों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग-अलग किया। कोतवाली थाना पुलिस पार्षद भरत टांक को बैठक से बाहर ले गई और हिरासत में ले लिया।

सभापति ने कहा- कठोर कार्रवाई की जाएगी घटना को लेकर सभापति नीतू बोथरा ने कहा-बैठक में पूरे हंगामा के बीच सक्रिय पार्षदों ने ध्वनि मत से एजेंडा पास कर दिया। यह बात कुछ पार्षदों को जमी नहीं। उन्होंने हंगामा कर दिया। स्याही फेंकने वाले पार्षदों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।

नवरत्न बोथरा बोले- मुझे कमजोर करने की कोशिश - पार्षद नवरत्न बोथरा ने कहा-भाजपा और कांठोस के कुछ पार्षद काफी समय से नगर परिषद के कार्यों को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे।गुरुवार को भी बैठक में जब एजेंडों पर बात करनी चाही तो उन्होंने बेवजह हंगामा शुरू कर दिया।

अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रूखसाना की ग्राम घूघरा के खसरा नम्बर 283 भूखण्ड संख्या 15-ए में क्षेत्रफल 119.58 वर्गगज के भूखण्ड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अत: किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के संबंध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जावेगी।

- उपायुक्त(उत्तर) अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मुस्कान बानू की ग्राम घूघरा के खसरा नम्बर 283 भूखण्ड संख्या 15-बी में क्षेत्रफल 113.75 वर्गगज के भूखण्ड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अत: किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के संबंध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जावेगी।

- उपायुक्त(उत्तर) अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सुभाष नगर, मकराना जिला डीडवाना कुचामन (राजस्थान) यह सार्वजनिक सूचना देता हूं कि रजिस्टर्ड शाश्वत लीज डीड की प्रति के दस्तावेज खो गए है। ये दस्तावेज निम्नलिखित है- रजिस्टर्ड शाश्वत लीज डीड कस्बा मकराना के खसरा नम्बर 604 में पट्टा संख्या 376 पत्रावली संख्या 53 दिनांक 2 मई 2002 को पट्टा धारक नानूराम जाट पुत्र श्री डालूराम जाट जाति जाट व्यवसाय मार्बल व्यापार निवासी सुभाष नगर, मकराना के नाम नगर पालिका वर्तमान नगर परिषद मकराना द्वारा जारी किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय मकराना में दिनांक 6 जुलाई 2002 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 50 पृष्ठ संख्या 152 क्रम संख्या 698/02 पर पंजीबद्ध किया गया, अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 243 के पृष्ठ संख्या 33 से 41 पर चस्पा किया गया। ये दस्तावेज उक्त सम्पति से सम्बन्धित है और ये दिनांक 20 फरवरी 2025 को मकराना में खो गये, जिसकी ऑनलाईन प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26 फरवरी 2025 को एल.आर. नम्बर 2648954/2025 दर्ज करवायी गयी है। उक्त सम्पति एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के यहां ऋण की ऐवज में रहन रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में किसी भी तरह की कोई आपति हो तो वह प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा एचडीएफसी बैंक शाखा दुदु के समक्ष आपति प्रस्तुत करें। अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी आपति को विचारार्थ नहीं रखा जा सकेगा। निराधार व झूठी आपति पेश करने पर आपतिकर्ता के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी। सूचितकर्ता एडवोकेट विमल सिंह बाफना। मो. 98297 77022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे राजस्थान आवासन मण्डल से मकान संख्या 3-डी-195-बी योजना खोड़ गणेश फेस-चतुर्थ हाउसिंग बोर्ड मदनगंज किशनगढ़ में आवंटित किया गया था। जिसका मूल आवंटन पत्र क्रमांक-1751 दिनांक 30.06.2015 व मूल कब्जा पत्र संख्या 264/7095 दिनांक 05.02.2016 मुझे आवासन मण्डल से प्राप्त हुए थे। कल दिनांक 28.07.2025 को पुराना हाउसिंग बोर्ड मदनगंज से पुराना बस स्टैण्ड मदनगंज जाते वक्त बीच रास्ते में कहीं गिर गये थे, जिनको मैंनें काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिले जिस किसी को मिले सूचित करें। -कु० कंचन जाखड़ पुत्री शंकर लाल जाखड़, निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, मो. 9549471289

LSG/BEAWAR/MUT/2025/139962
DATE :- 28.07.2025 रजि बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26/5837
दिनांक-31/07/2025

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती सोनू पत्नी श्री सूरजमल निवासी पाली ने क्षेत्र नं. 3 शिवदास शर्मा नगर बलाड़ रोड खसरा नं. 31/2 प्लाट नं. 02 क्षेत्रफल 66.11 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री तिलोक चन्द पुत्र श्री तनसुख लाल के नाम पट्टा विलेख जारी है। तत्पश्चात रजि बेचान-नामा दिनांक 10.04.2010, 12.08.2008, 07.05.2012, 09.12.2020 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नामान्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपति विचारणीय नहीं होगी।

-आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

LSG/BEAWAR/MUT/2025/142057
DATE :- 23.07.2025 मृत्यु प्रमाण पत्र,सजरा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26/5836
दिनांक-31/07/2025

सार्वजनिक सूचना

श्री भारत भंभानी 2. श्रीमती बिमला देवी 3. श्रीमती भावना हरवानी, 4 श्रीमती निशा बचानी पिसराज स्व. श्री देवीलाल निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. नरसिंहपुरा प्लॉट/मकान प्लॉट सं. 49 क्षेत्रफल 251.65 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में स्व. श्री देवीलाल पुत्र श्री पंजुमल जी, के नाम दर्ज है। तत्पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 04.10.1995 व सजरा प्रमाण पत्र स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग(गृहकर) पंजिका में नामान्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपति विचारणीय नहीं होगी।

-आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

झलकारी बाई स्मारक के पास, पंचशील नगर अजमेर, दूरभाष- 0145-249953, फैक्स-0145-2433813 Email-ajmermcs@gmail.com, webajmermc.org

क्रमांक : न.नि.अ/69-ए/2025-26/4511 **आपत्ति सूचना** दिनांक-30/07/2025

श्रीमति इरमद सुल्ताना पत्नी मंसूर अली, निवासी-प्लॉट नं. 35, बी ब्लॉक के सामने, मयूर कॉलोनी चन्द्रवरदाई नगर अजमेर द्वारा प्रस्तावित स्थल, प्लॉट नं. 35, बी ब्लॉक के सामने, मयूर कॉलोनी, चन्द्रवरदाई नगर अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर है का नगर निगम अजमेर में धारा 69-ए के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित स्थल की सीमाएँ निम्नानुसार हैं।

पूर्व : प्लॉट नं. 24	पश्चिम : आम रास्ता
उत्तर : जगदीश का मकान	दक्षिण : बी.पी. दुबे का मकान

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति /संस्था के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 69 ए के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के नगर निगम के पक्ष में भूमि के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी भी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आक्षेप/आपत्ति नहीं है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

-उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ जिला-अजमेर (राज.)

क्रमांक : नपकि/नाम हस्तांतरण/2025/1802 **आम सूचना** दिनांक : 31.07.25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वाके देशवाली मौहल्ला अरांई रोड पुराना शहर किशनगढ़ के आवासीय(भूखण्ड क्षेत्रफल 225.00 वर्गगज) पर 1. इस्लामुद्दीन पुत्र स्व. बदरूद्दीन 2. रय्याद्दीन पुत्र स्व. बदरूद्दीन ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व : अब्दुल अजीज का मकान	पश्चिम : मो. इलियास का मकान
उत्तर : रास्ता	दक्षिण : इस्लामुद्दीन का मकान

अत: उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

-प्रभारी,नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ जिला-अजमेर (राज.)

क्रमांक : नपकि/PWC/BPAS-2433/2025/610 **आम सूचना** दिनांक : 31.07.25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मधु मेहता पत्नी श्री विनोद कुमार मेहता राजस्व ग्राम मदनगंज, के खसरा सं. 444/3 भूखण्ड सं. 35 एवं 36 का कुल क्षेत्रफल 277.76 वर्गगज 'गोल्डन सिटी द्वितीय' अजमेर रोड मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में आवासीय निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व : भूखण्ड सं. 34	पश्चिम : भूखण्ड सं. 37
उत्तर : आर.के. गर्ल्स कॉलेज	दक्षिण : रास्ता 40 फीट चौड़ा

अत: उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।

-प्रभारी, भवन निर्माण स्वीकृति
नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की हरिभाऊ उपाध्याय नगर(विस्तार) योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 136-डी क्षेत्रफल 108 वर्ग गज के आवंटी/अन्तरिति खाजू लाल पुत्र भैरू निवासी कांकरदा भूणाभाय अजमेर की मृत्यु दिनांक 19/05/2025 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः (1) श्रीमती सावरी देवी पत्नि स्व. खाजू लाल (अजमेर) (2) श्रीमती कांता पुत्री स्व. खाजू लाल पत्नि पप्पू गुर्जर अजमेर (3) श्रीमती राजू देवी पुत्री स्व. खाजू लाल पत्नि सुरेश गुर्जर(अजमेर) द्वारा अपने सहहिस्सेदार लक्ष्मण लाल पुत्र स्व. खाजू लाल निवासी शिव मंदिर के पास कांकरदा भूणाभाय अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 24/7/25 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामांतरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकर योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। -नियमन शाखा प्रभारी,अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर